राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प.33/मुसप्र/ओसीएस/KYC/08–10/2264 दिनांकः–7-12-201

परिपत्र

मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः– प.33/मुसप्र/ओसीएस/08–10/2107 दिनांक 12.11.2010 के अनुसार आवास आवंटन से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही मूल आवेदक से करवाने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें KYC की सूचना, आवेदन करने एवं कब्जा प्राप्ति हेतु कार्यालय में मूल आवेदक स्वयं उपस्थित होने तथा अपंजीकृत मुख्त्यारनामा धारक व अन्य किसी प्रकार के प्रतिनिधि को किसी भी स्थिति में आवास का कब्जा नहीं दिये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

दिनांक 16.11.2010 से प्रताप नगर, सांगानेर योजना के अवशिष्ठ आवासों को खुली बिक्री योजना के माध्यम से किये गये आवंटनों में उक्त परिपत्रानुसार पंजीकृत मूल आवेदकों की स्वयं की उपस्थिति अनिवार्य की जाकर उनसे ही आवेदन फार्म स्वीकार किये गये थे, साथ ही इनकी फोटोग्राफी तथा वीडियो ग्राफी करवाई गई, जिसके कारण प्रताप नगर योजना के मूल पंजीकृत आवेदकों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवास आवंटन की कार्यवाही करवाई गई। इससे आवेदकों की पहचान सुनिश्चित हो पायी है।

अतः उक्त परिपत्र क्रमांकः– प.33/मुसप्र/ओसीएस/08–10/2107 दिनांक 12.11.2010 के निरन्तर क्रम में सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि आवासन मण्डल की योजनाओं में लॉटरी, खुली बिक्री या नीलामी के माध्यम से आवंटित आवास/भूखण्ड का कब्जा दिये जाने की समस्त कार्यवाही में मूल आवेदक की स्वयं की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायें। साथ ही अनिस्तारित आवासों का खुली बिक्री के माध्यम से निस्तारण किये जाने के समय पारदर्शिता बनाये रखने की दृष्टि से सभी उप आवासन आयुक्त मूल आवेदकों की फोटोग्राफी/वीडियो ग्राफी करायें व उक्त परिपत्र दिनांक 12.11.2010 द्वारा जारी सभी निर्देशों की कड़ाई से पालना करते हुए आवेदक की स्वयं की उपस्थिति भी सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति को गंभीरता से लिया जावेगा।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता/सचिव/वित्तीय सलाहकार, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पी. एण्ड एम./निदेशक विधि/तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी,रा.आ.म. जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त–वृत–.................... रा0आ0म0, ...
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–......................रा0आवम0, ...
7. रक्षित पत्रावली।
8. ACP कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि 'वेब साईट' पर डालें।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक